


विज्ञापित

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि. मुख्यालय, जयपुर पर मासिक आधार पर अनुबन्ध पर 07 डीजल/पेट्रोल वाहन (06 इण्डिगो/डिजायर या समकक्ष एवं 01 बोलेरो या समकक्ष) एक वर्ष की अवधि के लिए वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ2(4)एफडी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 31.03.2021 एफ 2(4) एफडी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 28.02.2019 एवं एफ 2(4) एफडी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 19.07.2018/31.03.2021 एवं 05.04.2022 की दर एवं शर्तों पर व्यक्तिशः/फर्म/ट्रेवल्स एजेन्सी से लिए जाने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। निर्धारित शर्तों का अवलोकन कार्यालय समय के दौरान निगम मुख्यालय के कक्ष संख्या 105 में किया जा सकता है।

अतः इच्छुक व्यक्ति निम्न दस्तावेज के साथ दिनांक 15.05.2023 को सांय 3.00 बजे तक निगम मुख्यालय के कक्ष संख्या 105 में प्रस्तुत कर सकते हैं।


वाहन	वाहन संख्या	प्रति माह संचालन सीमा न्यूनतम	राज्य सरकार के नियमानुसार राशि रु. प्रतिमाह	कार्य सम्पादन प्रतिभूति 5% वार्षिक मूल्य की
इण्डिगो/डिजायर या समकक्ष	06	1500 किलोमीटर		
बोलेरो	01	3000 किलोमीटर		

1. RC
2. Driving License
3. Fitness Certificate
4. Insurance
5. PAN
6. Addhar Card
7. Pollution Certificate
8. Tax Clearance.
9. Vehicle Registered as Taxi
10. Authorisation Permit


विशेषाधिकारी
आरएमएससी

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) आरएमएससीएल, जयपुर को भेजकर लेख है कि आरएमएससीएल की वेबसाइट पर अपलोड करवाना सुनिश्चित कराएँ।
2. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
3. रक्षित पत्रावली/गार्ड फाईल।


विशेषाधिकारी
आरएमएससी